संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2020/ भोपाल, दिनांक **/10/2020**

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल,म0प्र0।

विषय :– संविदा आर0सी0एच0/एन0एच0एम0 चिकित्सक को स्टायपेंड भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :– संविदा चिकित्सकों के विभागीय उम्मीदवार के रूप में पी0जी0 अध्ययन अवधि के दौरान स्टायपेंड भुगतान।

डॉ अग्निवेश कुमार मिश्रा, संविदा आर0सी0एच0 चिकित्सक वर्ष 2013 में विभागीय उम्मीदवार के रूप में पी0जी0 अध्ययन डी0सी0एच0 हेतु चयनित हुए एवं चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से अध्ययन पूर्ण किया गया। नियमित चिकित्सकों को तीन वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण होने के उपरांत ही वेतन भुगतान की पात्रता है एवं संविदा आर0सी0एच0/एन0एच0एम0 चिकित्सकों को विभाग अथवा एन0एच0एम0 कार्यालय द्वारा वेतन/मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

डॉ अग्निवेश कुमार मिश्रा, तत्कालीन समय में संविदा चिकित्सक के रूप में पी0जी0 अध्ययन हेतु चयनित हुए थे , अतः नियमानुसार इन्हें स्टायपेंड की पात्रता है। अतः अनुरोध है कि डॉ अग्निवेश कुमार मिश्रा, वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवां जिला रीवा को चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से अध्ययन अवधि वर्ष 2013–2015 हेतु स्टायपेंड भुगतान हेतु संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सपना एस0लोवंशी)
अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2020/ 1843 भोपाल, दिनांक / **/10/2020**
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
4. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर म0प्र0।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा ,म0प्र0।
7. सिलिव सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रीवा ,म0प्र0।
8. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय,म0प्र0।
9. संबंधित अधिकारी की ओर सूचनार्थ।

30/9/20

अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश